

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिरायतस जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुआ

से वादी एवं प्रतिवादी सं. 142 के मध्य कठजे  
व हिस्सेनुसार विभाजन किये जाने का आदेश  
दिया जाता है। उक्तानुसार विभाजन कर दिया  
9.3.21 से पूर्व भिजवाया जावे। तदनुसार प्रारम्भिक  
डिडी जारी हो। तहसीलदार माण्डल की प्रारम्भिक  
डिडी की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली  
देखने विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत दिनांक 9-3-21  
को पेश हो।

9.3.21 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित, तहसीलदार  
माण्डल से विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। वास्ते  
पत्रावली में देखने विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत  
दिनांक 30.3.21 को पेश हो।

30.3.21 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, तहसीलदार  
माण्डल से विभाजन प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं।  
वास्ते पत्रावली में देखने विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत  
दिनांक 18.5.21 को पेश हो।

18.5.21

उपरोक्त पत्रावली में तहसीलदार की उपस्थिति  
कार्य से बाहर रहने का उल्लेख है / पेश किया है।  
उक्त पत्रावली दिनांक 29.6.21 को

उपस्थित : 31

29.6.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्वयं/पुस्तिका रखने  
से पत्रावली दिनांक 14.9.21 को पेश हो।

25.10.21

पत्रावली प्रशासन गांवो के सेग अभियान 2021  
केम्प भगवानपुरा में पेश हुई, तहसीलदार माण्डल  
से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल

पत्रावली किया गया। वार्दा ऐव प्रतिवार्दी सं० 1, 2 के बीच कृतिभजन किया गया। वार्दा का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील मोडल में स्पिन निम्नोक्ति आराजियात वार्दा ऐव प्रतिवार्दी सं० 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं उसी अनुसार आराजियत दर्ज कि जावै।

श्री लालुलाल 5/0 श्री बरदा सुधार शा. देह स्वातेदार

आराजीने	$\frac{269}{0.2984}$	$\frac{267}{0.0253}$	$\frac{286}{0.0695}$	$\frac{287}{0.1450}$	$\frac{288}{0.1270}$
शकवा					

श्री प्रकाशचन्द्र, सम्पतलाल 5/0 श्री मोगीलाल सुधार  
शा. देह स्वातेदार

आराजीने	$\frac{268}{0.1265}$	$\frac{269/1}{0.3972}$	$\frac{286/1}{0.0823}$	$\frac{288/1}{0.0500}$	$\frac{287/1}{0.2091}$
शकवा					

उक्तानुसार भूमि का वार्दा ऐव प्रतिवार्दी सं० 1 व 2 के नाम तहसीलदार मोडल राजस्व रेकार्ड में अमल करामद करे। शर्चा फोरफेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिडी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन चौकी के रांग जमियान 2021

( आ० 20 नियम 6 / जा०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वईजलास श्री डॉ० पूजा सक्सेना ( आ००१०१०० )

अनवान प्रकरण

श्री बालुलाल ङ० श्री बरदा सुधार निवासी - नृसिंह मोहल्ला  
भगवानपुरा तहसील - मांडल

वादी

बनाम

श्री सम्पतलाल ङ० श्री मांगीलाल सुधार निवासी - नृसिंह मोहल्ला भगवानपुरा त० मांडल  
श्री प्रकाशचन्द्र ङ० श्री मांगीलाल सुधार निवासी  
राजस्थान राज्य भरिए तहसीलदार सा मांडल तहसील - मांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 मुकदमा नं०/वर्ष 59/20 निर्णय दिनांक 25.10.21

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी  
मिनजानिव मुददई व श्री प्रदीप कुमार व्यास Adv मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर  
आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा, परवार हल्का भगवानपुरा तहसील  
माण्डल मे स्थित निम्नोक्त आराजियात वादी ऐप प्रतिवादी से 01, 02 के नाम  
राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

1. श्री बालुलाल ङ० श्री बरदा सुधार निवासी - भगवानपुरा तहसील मांडल  
शा - देह खातेदार

आराजी नं० 269 267 286 287 288  
बेकवा 0.2984 0.0253 0.0695 0.1450 0.1270

आज तारीख 25.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

डॉ० पूजा सक्सेना  
सहायक जिला अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँव के रो. अभियान 2021

2. श्री प्रकाशचन्द्र, सम्पतलाल & श्री भोगीलाल सुथार निवासी अग्रपानपुरा  
तहसील-भाण्डल सा. देह स्वातंत्र्य

आराजी नं.	268	269/1	286/1	288/1	287/1
रकबा -	0.1265	0.3972	0.0823	0.0500	0.2091

उक्तानुसार भूमि तादी एवं प्रतिवादीसं. 01 लगायत 02  
के नाम एक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज  
किया जाये। शर्चा करिकेन अपना-अपना वहन  
करे।

डॉ. पूजासक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी भाण्डल  
प्रशासन गाँवों के लिए अभियान 2021